

②

2024/73

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी

उदकलाल

बनाम

चुन्नीलाल

किस्म मुकदमा पत्थरगढी 128 एल.आर.एक्ट

प्रकरण नं. 41/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/5/24	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम की आराजी नम्बरकी विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। कब्जे में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं की जावे। यह आदेश केवल पत्थरगढी के लिए है किसी भी प्रकार का कब्जा सुपूर्द नहीं किया जाए। प्रार्थी से कमीशनरी फिस रुपये वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावे। पत्रावली में इसी आशय का हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।	

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी (राज.)

